

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्या:- 262 / FP/UK/OFC/36847/2018 देहरादून: दिनांक: 24 जुलाई, 2019

सेवा में,

सचिव,

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद-देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन प्रभाग में (थानों-ऋषिकेश-बडकोट) रेंज के अन्तर्गत एन0एच0 07 मार्ग (रायपुर-रानीपोखरी चौक) 20.9 किमी0, रानीपोखरी-नटराज चौक 3.8 किमी0, रानीपोखरी चौक-जंगलात चौकी 9.2 किमी0 कुल लम्बाई 33.9 किमी0 मोटर मार्ग के किनारे आष्टिकल फाईबर केबिल लाईन बिछाने हेतु 0.205 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0 को 30 वर्षों की लीज पर दिया जाना।

(Online proposal no-FP/UK/OFC/36847/2018)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु प्रबन्धक, रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0, देहरादून के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.205 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि लीज पर दिये जाने का प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग, देहरादून एवं वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून द्वारा भी संस्तुति/सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Sanctuary/Tiger Reserve का हिस्सा नहीं है।

भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग-निर्देशिका के प्रस्तर 4.1 एवं 4.2 में दिये गये निर्देशानुसार राज्य सरकार को ओ0एफ0सी0 के प्रकरणों में वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान करने हेतु अधिकृत किया गया है, बशर्ते इस हेतु उपयोग में लाये जा रहे वन भूमि का RoW पूर्व में स्वीकृत किया गया हो। इस प्रकरण में वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून के पत्रांक 40/12-1 दिनांक 08-07-2019 के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रश्नगत मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि का RoW उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या जी0आई0 2588/7-1-2011-600(1694)/2006 दिनांक 18-11-2011 एवं शासनादेश संख्या जी0आई0 1220/X-4-15/1(628/2015) दिनांक 11-12-2015 से स्वीकृत है।

अतः प्रस्ताव के ऑनलाईन प्रपत्र भाग-I से भाग-III एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग-IV पर संस्तुति सहित संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(डी0जे0के0 शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या / FP/UK/OFC/36847/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
4. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, जनपद-देहरादून।
6. प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
7. प्रबन्धक, रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0, प्लॉट नं0-32, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

(डी0जे0के0 शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम:- जनपद-देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन प्रभाग में (थानों-ऋषिकेश-बडकोट) रेंज के अन्तर्गत एन0एच0 07 मार्ग (रायपुर-रानीपोखरी चौक) 20.9 किमी0, रानीपोखरी-नटराज चौक 3.8 किमी0, रानीपोखरी चौक-जंगलात चौकी 9.2 किमी0 कुल लम्बाई 33.9 किमी0 मोटर मार्ग के किनारे आष्टिकल फाईबर केबिल लाईन बिछाने हेतु 0.205 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0 को 30 वर्षों की लीज पर दिया जाना।

(Online proposal no-FP/UK/OFC/36847/2018)

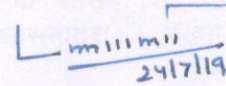
जनपद-देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन प्रभाग में (थानों-ऋषिकेश-बडकोट) रेंज के अन्तर्गत एन0एच0 07 मार्ग (रायपुर-रानीपोखरी चौक) 20.9 किमी0, रानीपोखरी-नटराज चौक 3.8 किमी0, रानीपोखरी चौक-जंगलात चौकी 9.2 किमी0 कुल लम्बाई 33.9 किमी0 मोटर मार्ग के किनारे आष्टिकल फाईबर केबिल लाईन बिछाने हेतु 0.205 हे0 आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण निहित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, जनपद-देहरादून/प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून एवं वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून द्वारा भी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Sanctuary/Tiger Reserve का हिस्सा नहीं है।

भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग निर्देशिका के परस्तर 4.1 एवं 4.2 में दिये गये दिशा निर्देश के क्रम में राज्य सरकार इस वन भूमि हस्तान्तरण हेतु अधिकृत है।

अतः प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत राज्य सरकार, स्तर से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

नाम व पदनाम:

हस्ताक्षर:


24/7/19

(डी0जे0के0 शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

सरकारी मोहर:

APCCF & NODAL OFFICER (FC)
UTTARAKHAND, DEHRADUN

तिथि : 24/07/2019

स्थान : देहरादून